कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर–492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)
दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/खनिज/331–305/283 नवा रायपुर, दिनांक 28/01/2025

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर
छत्तीसगढ़

विषय:– **Proposal for seeking prior approval of the Central Government under Section 2 (1) (ii) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 in favour of M/s NMDC-CMDC Limited for non-forestry use of 682.2722 ha. (570.100 ha. inside lease and 112.1722 ha. outside lease) forest land for Bailadila Iron Ore Deposit-4 Mine in Dantewada Forest Division, South Bastar, Dantewada District in the State of Chhattisgarh-reg.**

संदर्भ:– 1. मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ व.त.अ./ 170 दिनांक 10.01.2025
2. वन मंडलाधिकारी, जांजगीर–चांपा वन मंडल का पत्र क्रमांक/तक. अधि./4054 दिनांक 30.05.2024

––00––

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। प्रकरण में प्रथम चरण स्वीकृति हेतु प्रेषित व्यपवर्तन प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 07.03.2024 द्वारा 26 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है, जिसके अनुक्रम में मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त द्वारा 26 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी अनुशंसा सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

दंतेवाड़ा वन मंडल अंतर्गत वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु एन.एम.डी.सी.–सी.एम.डी.सी. द्वारा डिपोजिट –4 में लौह अयस्क उत्खनन हेतु रकबा 682.2722 हे. वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तन प्रस्ताव के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु दुगुने बिगड़े वन भूमि जांजगीर–चांपा वन मंडल में 846.296 हे. वन भूमि प्रस्तावित किया जाकर परियोजना प्रतिवेदन मय उपयुक्तता प्रमाण पत्र सहित प्रेषित किया गया था। संदर्भित पत्र–2 से अवगत कराया गया है कि 846.296 हे. में से ही 147.000 हे. क्षेत्र अन्य प्रकरण में पूर्व से ही क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्रस्तावित है। वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु शेष प्रस्तावित 846.296 हे. में से 147.000 हे. जांजगीर–चांपा वन मंडल में उपलब्ध नहीं होने के कारण अन्य वन मंडलों से चयनित करने हेतु लेख किया गया है।

उक्त 147.000 हे. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु बलरामपुर वनमंडल अंतर्गत उपलब्ध कराने हेतु वनमंडलाधिकारी बलरामपुर को निर्देशित किया गया है। अतः वनमंडलाधिकारी बलरामपुर से समन्वय स्थापित कर उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट एवं 10 वर्षीय परियोजना प्रतिवेदन मय उपयुक्तता प्रमाण पत्र सहित प्रेषित करना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्र./वन (सं. एवं सं.)अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र0/भू–प्रबंध/खनिज/331–305/284 नवा रायपुर, दिनांक 28/01/2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. **वन मंडलाधिकारी**, जांजगीर–चांपा एवं बलरामपुर वन मंडल, छत्तीसगढ़।
3. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी**, एन.एम.डी.सी. – सी.एम.डी.सी., ग्रीन वेली सिटी, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, बोरियाकला, सेजबहार, रायपुर।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्र./वन (सं. एवं सं.)अ)
छत्तीसगढ़